न्यायालय सिविल जज (सी.डि.)/एफ.टी.सी, पीलीभीत।

प्रकीर्ण वाद सं. –262/2022

(सम्बन्धित मूलवाद सं0– 50/2002)

विनोद कुमार आदि **बनाम** उ.प्र. राज्य आदि।

दिनाँक–06.04.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/वादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को पुर्नस्थापन प्रार्थनापत्र कागज सं. 5–क पर सुना गया।

प्रार्थी की ओर से पुर्नस्थापन प्रार्थना पत्र कागज सं. 5–क इस आशय के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थीगण का मूलवाद संख्या 50/02 विनोद कुमार आदि बनाम उ.प्र. वन विभाग आदि में नियत दिनांक 01.11.2022 को सांक्षी शपथ पत्र पी0 डब्लू0 संख्या 1 दाखिल किया गया था तथा अग्रिम तिथि 14.11.2022 वास्ते सुनवाई नियत की गयी थी। प्रार्थीगण का मूलवाद संख्या 50/2002 वास्ते सुनवाई नियत था परन्तु प्रार्थी / वादी नं0 2 अदालत श्रीमान जी के समक्ष मय अधिवक्ता 12 वजे पहुँचा तो पता चला कि प्रार्थी का वाद पाँच मिनट पूर्व प्रार्थी की गैर हाजिरी के कारण निरस्त कर दिया गया तथा उक्त पत्रावली मूलवाद दिनांक 14.11.2002 को समय 12.10 बजे देखने को मिली। प्रार्थी/वादी नं0 2 का ग्राम बंजरिया पीलीभीत से 55 किलो मीटर जंगल से लगा हुआ स्थित है प्रार्थी गाँव से 8 बजे सुवह पैदल चला तथा 10 किलो मीटर पैदल चलकर पीलीभीत जाने वाली सड़क पर करीब 9 बजे आया तथा सड़क पर एक घन्टा खड़ा रहा कोई सवारी नही मिली जब करीब दस बजे सवारी मिली तो दो घन्टे मे पीलीभीत कचहरी पहुँच पाया जवकि मुकदमें मे पुकार 12 वजे से पहले पड़ गयी तथा प्रार्थी की गैर मौजूदगी के कारण मूलवाद संख्या 50/2002 विनोद कुमार आदि बनाम उ०प्र० वन विभाग आदि निरस्त हो गया। प्रार्थी ने जानबूझ कर अदालत आने में देरी नही की वरन परिस्थितिवस देरी हो गयी प्रार्थी हुई गलती के लिये क्षमा प्रार्थी है। प्रार्थीगण को मूलवाद संख्या 50/2002 बिनोद कुमार आदि बनाम उ०प्र० वन विभाग आदि मे पारित आदेश दिनाक 14.11.2022 से भविष्य में अपूर्णनीय क्षति होगी कि जिसकी भरपाई हो पाना अन्य प्रकार से संभव नही है । इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार कर एक तरफा तौर पर पारित आदेश दिनांक 14.11.2022 निरस्त कर उक्त वर्णित मूलवाद संख्या 50/2002 पुर्नजीवित कर प्रार्थीगण को सम्पूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने की कृपा करें।

विपक्षी की ओर से उक्त पुर्नस्थापन प्रार्थनापत्र के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है।

प्रस्तुत पत्रावली तथा सम्बंधित मूल वाद सं०– 50/02 विनोद कुमार आदि बनाम उ.प्र. वन विभाग आदि की पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित है कि उपरोक्त मूल वाद सं.50/2002 में वास्ते सुनवाई 14.11.2012 तिथि नियत थी। उक्त नियत तिथि को वादी की ओर से किसी के उपस्थित न आने एवं कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत न करने के कारण, उक्त मूल वाद वादी की अनुपस्थिति में खारिज कर दिया गया। तत्पश्चात दिनांक 15–11–2022 को प्रार्थी द्वारा यह पुर्नस्थापन प्रार्थना पत्र समय सीमा के अन्दर न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है, जिससे यह विदित है कि प्रार्थी उक्त मूल वाद की अग्रिम कार्यवाही में रूचि रखता हैं। उक्त प्रार्थना पत्र पर विपक्षी की ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है।

अतः उक्त समस्त तथ्यों व परिस्थितियों तथा मामले को गुणदोष के आधार पर सुनकर, निस्तारित किये जाने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए, उक्त मूल वाद को पुर्नस्थापन किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। तदनुसार प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत पुर्नस्थापन प्रार्थना–पत्र कागज सं. 5–क स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत पुर्नस्थापन प्रार्थना–पत्र कागज सं.–5–क स्वीकार किया जाता है तथा मूल वाद सं0– 50/02 विनोद कुमार आदि बनाम उ.प्र. वन विभाग आदि में पारित आदेश दिनांकित 14.11.2022 अपास्त किया जाता है। उक्त मूल वाद सं.– 50/2002 विनोद कुमार आदि बनाम उ.प्र. वन विभाग आदि अपने मूल क्रमांक पर पुर्नस्थापित हो। तदोपरान्त प्रार्थी उक्त मूल वाद के पुर्नस्थापन की सूचना विपक्षी/प्रतिवादी को दिये जाने हेतु आवश्यक पैरवी अविलम्ब करे ।

प्रकीर्ण वाद सं. 262/2022 की पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार होवे।

मूल वाद की पत्रावली दिनांक 17.4.2023 को वास्ते उपस्थिति उभयपक्ष हेतु पेश हो। प्रार्थी विपक्षी पर सूचना हेतु उभयप्रकार से पैरवी करे।

(प्रियंका रानी)
सिविल जज (सी.डि.)/
एफ.टी.सी.,पीलीभीत।